RMSC
RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION
।।सर्वे सन्तु निरामया:।।
(Government of Rajasthan undertaking)

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005
फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in
CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2018-19/ दिनांक :

कार्यालय आदेश

M/s Vinayak Manutrade (P) Limited, 31, Industrial Area, Jhotwara, Jaipur-302012 की निविदा क्रमांक F.02(191)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-10/2016/987 दिनांक 26.07.2016 के तहत औषधि Surgical Spirit BP 100ml [449] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 1571 दिनांक 30/11/2016 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के 02 बैच (SS-81,SS-82) को Identification Test A & B एवं Assay of Methyl Salicylate में अवमानक कोटि की घोषित किये गये।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार पुनः जाँच हेतु औषधि के बैच का वैधानिक नमूना औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिया जाकर नमूने को राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर में भिजवाया गया जिसमें औषधि के उक्त बैच को Identification test में अवमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई।

इस संबंध मे निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों न आपकी फर्म की उक्त औषधि को निविदा शर्तो के अनुसार डिबार कर दिया जाये? दिनांक 20/02/2018 को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक आयोजित की गई तथा फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को सुना गया। उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया की फर्म ने उक्त टेस्ट रिपोर्ट को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत चैलेंज किया हुआ है।अतः निगम के क्लॉज 4.9 के अनुसार अनुशासनात्मक समिति ने रिपोर्ट आने पर पुनः प्रकरण समिति के समक्ष रखे जाने हेतु कहा गया। Central Drug Laboratory, Kolkatta से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को दिनांक 28/08/2018 को अनुशासनात्मक समिति के समक्ष पुनः रखा गया, समिति ने पाया कि Central Drug Laboratory, Kolkatta ने भी औषधि के बैच संख्या SS-82 को अवमानक कोटि का घोषित किया है।अतः फर्म द्वारा अवमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत Not of Standard Quality के साथ–साथ Spurious and Adulterated की श्रेणी में परिभाषित हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण डिबारिंग–दिशा निर्देशो के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4. 8 के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Vinayak Manutrade (P) Limited, 31, Industrial Area, Jhotwara, Jaipur-302012 को यह आदेश जारी करने की तिथि से 05 (पॉच) वर्ष के लिए डिबार किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

/
(अनिल गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक
आर.एम.एस.सी.

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION
RMSC
।।सर्वे सन्तु निरामयाः।।
(Government of Rajasthan undertaking)

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2018-19/1095 दिनांक : 04/10/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम.।
4. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकि. एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
6. औषधि नियंत्रक, राजस्थान
7. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
8. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
9. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं ए.जी.एम.(आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
10. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
11. समस्त चिकित्सा सेवा निगम, गुजरात/केरल/तमिलनाडु/बिहार/छत्तीसगढ़/पश्चिम बंगाल/कर्नाटक/हरियाणा/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/जम्मू कश्मीर।
12. M/s Vinayak Manutrade (P) Limited, 31, Industrial Area, Jhotwara, Jaipur-302012.
13. रक्षित पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.)
आर.एम.एस.सी.